# कार्यालय चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चम्पावत

## विज्ञप्ति

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ चम्पावत द्वारा विभिन्न श्रेणी के कागगार उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमन्त्रित की जा रही है। इच्छुक निविदादाता अपने आवेदन पत्र दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को अपरान्ह 4:00 बजे तक कार्यालय के पते पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विज्ञप्ति के सन्दर्भ में विस्तृत विवरण दुग्ध संघ का कार्यालय जूप–पटवा चम्पावत एवं यू.सी.डी. एफ. लि0, हल्द्वानी की वेबसाइट www.ucdfaanchal.org पर उपलब्ध है।

प्रबन्धक
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

# नियम एवं शर्तें

## विभिन्न कार्यो के लिये श्रमिक उपलब्ध कराने के लिये निर्धारित शर्त

01. यह कि निविदादाता द्वारा निविदा फार्म के लिफाफे पर अपना नाम, पूर्ण पता व संदर्भित कार्य का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।
02. यह कि निविदादाता के निविदा फार्म संस्था में रजिस्टर्ड डाक/कोरियर तथा निविदा बॉक्स के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे।
03. यह कि द्वितीय पक्ष न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की दरों से कम मजदूरी श्रमिकों को नहीं देगा।
04. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा टेंडर फार्म पर कटिंग/ओवरराइटिंग न की जाय। कटिंग/ओवरराइटिंग पर निविदादाता अपने हस्ताक्षर करें, लेकिन वित्तीय बिड हेतु टेंडर फार्म पर निविदादाता द्वारा द्वारा कदापि कटिंग/ओवरराइटिंग स्वीकार्य नहीं होगी तथा ऐसा पाये जाने पर सम्बन्धित निविदादाता का टेंडर वैध नहीं माना जायेगा।
05. निविदादाता द्वारा प्रथम पक्ष की नाम मात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, जिसके लिये रू0 200.00 (दो सौ) मात्र नकद जमा कर सदस्यता शुल्क को संघ के कोषागार में जमा करेगा।
06. निविदादाता द्वारा **मु0 50,000.00 (पचास हजार) मात्र अर्नेस्ट मनी** के रूप में संघ कोषागार में जमा कर रसीद की छायाप्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न करनी होगी या उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट जो दुग्ध संघ, चम्पावत (प्रथम पक्ष) के नाम देय होगा, निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा।
07. यह कि अनुबन्ध एक वर्ष तक के लिये मान्य होगा, किन्हीं अपरिहार्य कारणवश यह अनुबन्ध अवधि को 03–03 (तीन–तीन) माह के लिये दो बार बढ़ाई जा सकती है।
08. यह कि सरकार द्वारा सेवा पर लगाये आयकर की कटौती निविदादाता करके प्रथम पक्ष द्वारा भुगतान जमा किया जायेगा।
09. निविदादाता को **श्रम विभाग का वैध पंजीकृत लाईसेंस** प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
10. यह कि निविदादाता का **भविष्य निधि संगठन (EPFO) विभाग में रजिस्ट्रेशन** होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
11. यह कि निविदादाता का **कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) विभाग में रजिस्ट्रेशन** होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
12. यह कि निविदादाता का **वस्तु एवं सेवा कर GST कार्यालय में रजिस्ट्रेशन** होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
13. यह कि निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृति उपरान्त निर्धारित जमानत धनराशि मु0 1,00,000.00 (एक लाख मात्र) मात्र नकद, बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा (जो दुग्ध संघ के पक्ष में हो) जमानत के रूप में दुग्ध संघ के कोषागार में जमा करेगा।
14. वस्तु एवं सेवाकर इत्यादि प्रथम/ निविदादाता द्वारा द्वारा शासन के नियमों के अनुसार जमा किया जायेगा तथा उसकी रसीद की छायाप्रति संघ कार्यालय में प्रत्येक माह जमा की जायेगी, बिल में वस्तु एवं सेवा कर का रजिस्टर्ड नं0 अंकित करना होगा तथा उसकी प्रमाणित छायाप्रति निविदा प्रपत्र के तकनीकी बिड में संलग्न करनी होगी।
15. यह कि प्रथम पक्ष की मांगानुसार निविदादाता द्वारा द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों को किये गये मासिक भुगतान भविष्य निधि कार्यालय में जमा ई0पी0एफ0 धनराशि आदि की रसीद/पंजिका की छायाप्रति प्रत्येक माह के बिल के साथ प्रथम पक्ष को उपलब्ध करानी होगी तथा वेतन का भुगतान उनके नियुक्त स्थान पर करना होगा। ई0पी0एफ0 कार्यालय में जमा की गई धनराशि बिलों में दर्शित धनराशि से अधिक/कम नहीं होगी।
16. श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत (श्रेणीवार) प्रथम पक्ष द्वारा स्वीकृत वेतन/मजदूरी जो कि निविदादाता द्वारा द्वारा बिल में दर्शायी जायेगी उस वेतन/मजदूरी का पूर्ण भुगतान निविदादाता द्वारा

28/09/24

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

सम्बन्धित श्रमिकों को किया जाना होगा अर्थात् सरकार द्वारा लगाये वस्तु एवं सेवाकर को छोड़कर समस्त करों का भुगतान/प्रतिपूर्ति निविदादाता द्वारा अपने कमीशन धनराशि से दी जायेगी।

17. यह कि प्रथम पक्ष के चम्पावत स्थित दुग्धशाला कार्यालय एवं जनपद के विभिन्न अवशीतक केन्द्रों एवं विक्रय केन्द्रों के लिये समय-समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्न श्रेणियों के श्रमिक की माँगानुसार प्रातः एवं सायं पाली में उपलब्ध कराने होंगे।
18. यह कि निविदादाता द्वारा को लेबर ऐक्ट के नियमों एवं प्राविधानों के अनुरूप समस्त वांछित अभिलेख निर्धारित प्रपत्रों एवं पंजिकाओं के प्रथम पक्ष को नियमित रूप से उपलब्ध कराने होंगे।
19. यह कि निविदादाता द्वारा प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये गये श्रमिक की मासिक उपस्थिति का बिल माह के दिनांक 2 से 4 की तिथि के बीच सम्बन्धित अनुभागों से कार्यों का सत्यापन करवाकर प्रशासन अनुभाग को उपलब्ध करायेंगे एवं प्रचलित स्वीकृत मजदूरी के दरों के अनुसार अपने श्रमिकों को मासिक मजदूरी का भुगतान संस्था के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी की उपस्थिति में प्रत्येक माह की 7वीं तिथि तक जो श्रमिक जहाँ है, भुगतान करना होगा तत्पश्चात् द्वितीय पक्ष द्वारा श्रमिकों को किये गये भुगतान की स्वः सत्यापित प्रति सहित बिल प्रस्तुत किया जायेगा ।
20. यह कि निविदादाता द्वारा प्रथम पक्ष के अधिकृत प्रतिनिधियों, जैसे-डेरी पर्यवेक्षक, शिफ्ट प्रभारी, सम्बन्धित अनुभाग प्रभारियों, के निर्देशों का पालन किया जायेगा। निविदादाता द्वारा प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये गये किसी भी श्रमिक द्वारा सम्बन्धित अधिकृत अधिकारी के निर्देशों का पालन न करने, चोरी करने, प्रथम पक्ष की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने अथवा संस्था के हितों के विरूद्ध कार्य करने पर प्रधान प्रबन्धक द्वारा दिये गये निर्देशों के आधार पर तत्काल कार्य से पृथक् करना होगा। निविदादाता के किसी श्रमिक द्वारा संस्था की किसी प्रकार की क्षति करने पर निविदादाता को क्षति की दोगुनी धनराशि प्रथम पक्ष को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करनी होगी।
21. यह कि निविदादाता द्वारा कान्ट्रेक्ट लेबर (रिगलेन एवं एविलिशन) ऐक्ट, 1970 के अन्तर्गत अपने श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिये जो भी औपचारिकता पूर्ण करने के लिये प्रथम पक्ष के सहयोग की आवश्यकता हो, तो उसे प्रथम पक्ष द्वारा पूरा किया जायेगा। औपचारिकता में किसी भी कमी के लिये प्रथम पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। कार्य अवधि में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की दशा में वर्कमैन कम्पनसेशन ऐक्ट के अन्तर्गत किसी भी क्षतिपूर्ति के लिये द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। प्रथम पक्ष की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
22. यह कि निविदादाता अपना प्रतिनिधि 24 घण्टे दुग्धशाला कार्यालय में उपलब्ध करायेगा, ताकि प्रथम पक्ष अथवा उसका कोई प्रतिनिधि किसी भी समय उसे उचित निर्देश दे सके और दुग्ध संघ के किसी भी कार्य में किसी भी समय श्रमिक उपलब्ध न होने से बाधा उत्पन्न न हो सके।
23. यह कि प्रथम पक्ष, निविदादाता के द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों का भुगतान निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों के आधार पर करेगा। प्रथम पक्ष का इस सम्बन्ध में किसी भी श्रमिक से कोई भी सम्बन्ध नहीं रहेगा। निविदादाता प्रत्येक माह प्रथम पक्ष को यह प्रमाण पत्र अवश्य देगा कि उसके किसी श्रमिक को कोई वेतन अथवा बकाया धन उस पर अदा करने को बकाया नहीं है तथा निविदादाता द्वारा कार्य पर नियोजित कोई भी श्रमिक किसी भी दशा में किसी भी योजना/कार्य के लिये प्रथम पक्ष का कर्मचारी नहीं माना जायेगा।
24. यह कि निविदादाता द्वारा उचित ढंग से कार्य न करने अथवा इस अनुबन्ध की शर्तों का पालन न करने पर प्रथम पक्ष को इस अनुबन्ध के अन्तर्गत अपने किसी भी अधिकार पर बिना कोई प्रभाव डाले अनुबन्ध को समाप्त करने का अधिकार होगा, जिन परिस्थितियों में निविदादाता प्रथम पक्ष को होने वाले किसी भी क्षतियों/क्षतिपूर्तियों की प्रतिपूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा और प्रथम पक्ष को उक्त धनराशि को निविदादाता द्वारा जमा जमानत की धनराशि व उसके देयकों से काटने का पूर्ण अधिकार होगा।
25. यह कि श्रमिकों का पी0एफ0 मध्ये नियोक्ता अंशदान प्रथम पक्ष द्वारा दिया जायेगा, जो नियमित रूप से निविदादाता द्वारा श्रमिकों की ई0पी0एफ0 धनराशि भविष्य निधि कार्यालय में जमा कराई जायेगी तथा इससे सम्बन्धित समस्त रिकार्ड/अभिलेख निविदादाता द्वारा रखा जायेगा तथा अन्य भुगतान/प्रतिपूर्ति निविदादाता को स्वयं करना होगा।

28/09/14

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

26. यह कि श्रमिकों को ग्रुप ग्रेच्युटी की कार्यवाही निविदादाता द्वारा की जायेगी।
27. यह कि निविदादाता द्वारा श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूपों पर मजदूरी पुस्तिका, पर्ची भुगतान की गयी मजदूरी का रजिस्टर तथा मजदूरी के लिये किये गये जुर्माने और कटौतियों का रजिस्टर आदि निविदादाता द्वारा नियमित रूप रखे जायेंगे और प्रथम पक्ष के अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि के द्वारा माँगे जाने पर उन्हें निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। इस अभिलेख को मासिक रूप से संस्था के प्रतिनिधि को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
28. यह कि निविदादाता का कार्य समाप्त हो रहा है अथवा अपने अनुबन्ध के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो रहा हो अथवा इस अनुबन्ध में किसी भी उपबन्धों अथवा ठेके पर लागू होने वाली किन्हीं शर्तों का पालन न हो, तो इस स्थिति में प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत अन्य किन्हीं भी अधिकारों अथवा उपबन्धों में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह ठेका तुरन्त समाप्त कर दे, निविदादाता की लापरवाही अथवा उचित श्रमिक उपलब्ध न कराये जाने के कारण प्रथम पक्ष की देय धनराशियों/हानियों अथवा उठाये गये प्रशासनिक खर्चों का व्यय निविदादाता की देय धनराशि अथवा जमा जमानत या देय बिलों से प्रथम पक्ष को वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
29. यह कि प्रथम पक्ष व निविदादाता के मध्य किसी भी विवाद की स्थिति में निबन्धक,डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा,जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
30. निविदा हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण न होने की स्थिति में निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
31. यह कि निविदादाता द्वारा प्रत्येक माह श्रमिकों को किये गये भुगतान की छायाप्रति एवं उनके ई0पी0एफ0 में जमा की गई धनराशि व अकाउण्ट नं0 सहित प्रत्येक माह लेखा अनुभाग को उपलब्ध कराना होगा, तत्पश्चात् प्रथम पक्ष द्वारा बिलों का भुगतान किया जायेगा।
32. निविदादाता की जमानत धनराशि टेण्डर समाप्त होने की दशा में 03 (तीन) माह उपरान्त अथवा अंकेक्षण (जो भी पहले हो) हो जाने के उपरान्त वापस की जायेगी।
33. निविदादाता द्वारा श्रमिकों को सरकारी नियमानुसार ई0एस0आई0 देय होगा। ई0एस0आई0 का क्षेत्राधिकारी नहीं होने की दशा में वर्कमैन कम्पन्शेसन ऐक्ट के अन्तर्गत समस्त श्रमिकों का बीमा करायेगा, जिसकी धनराशि प्रथम पक्ष द्वारा ठेकेदार को उपलब्ध करा दी जायेगी। यह ठेकेदार एजेंसी का उत्तरदायित्व बनता है कि तुरन्त श्रमिकों का बीमा वर्कमैन कम्पन्शेसन ऐक्ट के अन्तर्गत करना सुनिश्चित करें।
34. यह कि निविदादाता द्वारा अनुबन्ध अवधि के मध्य में कार्य छोड़ा जाता है, तो जमा की गई जमानत धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
35. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अनुसार किसी भी निविदादाता को सब कान्ट्रेक्ट अथवा सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
36. निविदादाता अथवा निविदादाता का अधिकृत प्रतिनिधि कभी भी दुग्ध संघ, चम्पावत उत्तराखण्ड सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा काली सूची में किया गया हो अथवा संस्था का विवादित निविदादाता रहा हो ऐसी निविदा के दौरान अथवा निविदा के पश्चात् संज्ञान के आने पर निविदा स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी एवं सफल द्वितीय निविदादाता को स्वीकृत दरों पर निविदा स्वीकृत कर दी जायेगी।
37. निविदा ट्वि निविदा (टू विड) प्रणाली के अधीन होगी। तकनीकी एवं वित्तीय विड अलग–अलग लिफाफों में बन्द कर एक–एक बड़े लिफाफे में बन्द किया जाना अनिवार्य होगा। तकनीकी विड में औपचारिकतायें पूर्ण होने के पश्चात् ही वित्तीय विड को खोला जायेगा।
38. निविदा की दरें जी0एस0टी0 को छोड़कर होंगी। समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित जी0एस0टी0 दरों के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
39. निविदादाता को रू0 100.00 (एक सौ) मात्र के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें/उनकी फर्म को किसी भी विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।
40. यदि दो या दो से अधिक निविदा में दर प्रतिशत एक समान होने पर निम्नवत् क्रमशः वरीयता प्रदान की जायेगी।

29/07/24

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

- जिन सर्विस प्रोवाइडर द्वारा पूर्व में इस संस्था में कार्य किया है, तथा उनका कार्य सन्तोषजनक रहा है, को प्रथम वरीयता दी जायेगी।
- उत्तराखण्ड के अन्य दुग्ध संघों में कार्य अनुभव है एवं कार्य सन्तोषजनक रहा है, को द्वितीय वरीयता रहेगी।
- उत्तराखण्ड राज्य की पंजीकृत फर्म को तृतीय वरीयता।
- एम.एस.एम.ई. वाले फर्म को चतुर्थ वरीयता दी जायेगी।
- जिन फर्मो का टर्न ओवर 03 वर्ष का सर्वाधिक रहा हो, को टर्न ओवर के अनुसार पॉचवी वरीयता रहेगी।
- निविदा दरें समान होने पर वर्तमान में संस्था में कार्य कर रहे सर्विस प्रोवाइडर को वरीयता दी जायेगी।

41. यदि कोई निविदादाता की अर्नेस्ट मनी संस्था में जगा है तो पूर्व में जमा अर्नेसट मनी मान्य होगी।
42. न्यूनतम दर तीन अंकों तक ही मान्य होगी।

## घोषणा

मेरे द्वारा उपरोक्त सभी नियमों एवं शर्तों को भली–भाँति पढ़ एवं समझ लिया गया है। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु पूर्ण जिम्मेदारी मेरी रहेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता .....
नाम .....
पिता का नाम .....
पूरा पता .....
.....
.....
फर्म का नाम .....
मोबाइल नं. .....

28/09/24

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner

प्रबन्धक
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

## चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 चम्पावत

निविदा प्रपत्र श्रमिक कान्ट्रैक्ट (तकनीकी विड हेतु)

निविदा फार्म मूल्य

जी.एस.टी. सहित रु0 2360.00

01. निविदादाता का नाम–.....
02. निविददाता का पता–
    (अ) अस्थाई पता–.....
    .....
    .....
    (ब) पत्राचार का पता–
    .....
    .....
    .....
03. कार्य अनुभव–
04. श्रम विभाग उत्तराखण्ड का पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
05. भविष्य निधि कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र की तथा सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
06. वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान शासन के द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा।

दिनांक.....स्थान..... उपर्युक्त प्रविष्टियॉ मैंने स्वयं भरी/भरवाई हैं और मेरी जानकारी पूर्ण रुपेण सही है, यदि कोई भी सूचना या सूचनाऐं गलत पायी जाती है, तो संस्था को पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस सम्बन्ध में हुए अनुबन्ध को बिना नोटिस दिये निरस्त कर दे।

हस्ताक्षर निविददाता.....
नाम .....
पिता का नाम .....
पूरा पता .....
.....
.....
फर्म का नाम.....
मोबाइल नं. .....

Scanned with CamScanner

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 चम्पावत

निविदा प्रपत्र श्रमिक कान्ट्रैक्ट (वित्तीय विड हेतु)

01. निविदादाता का नाम–.....

02. निविददाता का पता–

(अ) अस्थाई पता–.....

.....

.....

(ब) पत्राचार का पता–

.....

.....

.....

03. कार्य अनुभव–

04. निविदा क्रय हेतु जमा की गयी धनराशि की रसीद सं.....धनराशि.....दि.....

05. निविदा के समक्ष अर्नेस्ट मनी का विवरण ड्राफ्ट सं.....धनराशि.....दि.....

06. कमीशन चार्जेज की दरें प्रतिशत में अंकों में.....शब्दों में.....

दिनांक.....स्थान..... उपर्युक्त प्रविष्टियॉ मैंने स्वयं भरी/भरवाई हैं और मेरी जानकारी पूर्ण रुपेण सही है, यदि कोई भी सूचना या सूचनाऐं गलत पायी जाती है, तो संस्था को पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस सम्बन्ध में हुए अनुबन्ध को बिना नोटिस दिये निरस्त कर दे। साथ ही मेरे द्वारा निविदा सम्बन्धी सभी नियम एवं शर्तें भली भॉति पढ़ ली गयी हैं।

हस्ताक्षर निविददाता.....

नाम .....

पिता का नाम .....

पूरा पता .....

.....

.....

फर्म का नाम.....

मोबाइल नं. .....

Scanned with CamScanner